रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

अधिप्रमाणित

किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939

No. 431] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2017

**सा.का.नि. 530(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्नि-शमन सेवा कॉलेज, नागपुर में आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य (शैक्षणिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्तता.**—वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| आचार्य | 1* (2017)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए+शैक्षणिक ग्रेड वेतन 10000 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| | (11) |
| | **विद्यमान तारीख को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार शासित होगा।**<br><br>प्रोन्नति:<br>राष्ट्रीय अग्नि-शमन सेवा कॉलेज, नागपुर में ऐसे सह-आचार्य जिनके पास इंजीनियरिंग के अग्निशमन या सिविल या यांत्रिक या विद्युत शाखा में पी एच डी डिग्री है और जो वेतन बैंड-4, 37400-67000+शैक्षणिक ग्रेड वेतन 9000 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वि. वि. अ. आ. के विद्यमान विनियम में यथा विहित अन्य शर्तें पूरी की है।<br>टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)<br>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या |

| | |
|---|---|
| | स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:<br>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000/-रु.+ शैक्षणिक ग्रेड वेतन 9000 रु. में सह-आचार्य के रूप में पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और<br>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव है:<br>आवश्यक:<br>(i) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अग्निशमन या सिविल या यांत्रिक या विद्युत शाखा में प्रथम श्रेणी बेचलर या मास्टर डिग्री के साथ पी. एच. डी डिग्री, और<br>(ii) शिक्षण, अनुसंधान या उद्योग में कम से कम दस वर्ष का अनुभव जिसमें से सहायक आचार्य, उपाचार्य या समतुल्य श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।<br>**वांछनीय**<br>1. किसी ख्याति प्राप्त संगठन में शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक या वृत्तिक अनुभव;<br>2. प्रकाशित कृति, जैसे अनुसंधान लेख, पेटेंट फाइल या अभिप्राप्ति, पुस्तकें या तकनीकी रिपोर्टें;<br>3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करने या स्नातकोत्तर या अनुसंधान विद्यार्थियों का शोध प्रबंधन या उद्योग में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने का अनभव;<br>4. योजना में निदर्शन नेतृत्व और शैक्षणिक अनुसंधान औद्योगिक या वृत्ति क्रियाकलापों का आयोजन और<br>5. अनुसंधान और विकास, परामर्श कार्य और संबद्ध क्रियाकलापों की हैसियत या प्रायोजित मार्गदर्शन की हैसियत से कार्य का जिम्मा लेना।<br>**टिप्पण 1:**<br>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2:**<br>प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।<br>1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य- अध्यक्ष<br>2. गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग का प्रभारी सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव-सदस्य<br>3. अग्नि-शमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड बल का महानिदेशक-सदस्य | **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सह आचार्य | 2* (2017)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए+शैक्षणिक ग्रेड वेतन 9000 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| | (11) |
|---|---|
| | **विद्यमान तारीख को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार शासित होगा।**<br><br>प्रोन्नति:<br><br>राष्ट्रीय अग्नि-शमन सेवा कॉलेज, नागपुर में ऐसे सहायक-आचार्य जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु.+शैक्षणिक ग्रेड वेतन 6000 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और वि. वि. अ. आ. के विद्यमान यथा विहित अन्य शर्तें पूरी की है।<br><br><u>टिप्पण:- जहां</u> ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)<br><br>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्व विद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:<br><br>(i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुआ है; या<br><br>(ii) अग्नि-शमन या सिविल या यांत्रिक या विद्युत के विद्याशाखा में ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने मूल काडर या विभाग में शैक्षणिक ग्रेड वेतन 8000 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा पूरी की है; और<br><br>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव है:<br><br>(i) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अग्निशमन या सिविल या यांत्रिक या विद्युत शाखा में प्रथम श्रेणी बेचलर या मास्टर डिग्री के साथ पी. एच. डी डिग्री, और<br><br>**(ii)** शिक्षण, अनुसंधान या उद्योग में अनुसंधान डिग्री अभिप्राप्त करने पर व्यतीत अवधि को छोड़कर, प्राध्यापक के स्तर या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष का अनुभव<br><br>**वांछनीय**<br><br>1. किसी ख्याति प्राप्त संगठन में शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक या वृत्तिक अनुभव;<br><br>2. प्रकाशित कृति, जैसे अनुसंधान लेख, पेटेंट फाइल या अभिप्राप्ति, पुस्तकें या तकनीकी रिपोर्टें;<br><br>3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करने या स्नातकोत्तर या अनुसंधान विद्यार्थियों का शोध प्रबंध या उद्योग में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने या अनभव; |

| | |
|---|---|
| | **टिप्पण 1:**<br>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2:**<br>प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| (12) | (13) |
|---|---|
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।<br>1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष<br>2. गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग का प्रभारी सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव-सदस्य<br>3. अग्नि-शमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड बल का महानिदेशक-सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| सहायक आचार्य | 3* (2017)<br><br>(अग्नि-शमन या सिविल, विद्युत और यांत्रिक प्रत्येक के लिए)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए+शैक्षणिक ग्रेड वेतन 6000 रु.) | लागू नहीं होता | 35 वर्ष से अधिक नहीं<br><br>केन्द्रीय (सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br><br>**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **आवश्यक:**<br>अग्निशमन या सिविल या विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री<br>**वांछनीय**<br>1. किसी ख्याति प्राप्त इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के यांत्रिक शाखा के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक या वृत्ति अनुभव;<br>2. सम्मेलन में या निर्दिष्ट जर्नल में पेपर प्रस्तुत करना।<br>**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | लागू नहीं होता | एक वर्ष |

| | | |
|---|---|---|
| **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |

| (10) | (11) |
|---|---|
| **सीधी भर्ती द्वारा**<br>**टिप्पण 1 :**<br>पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी।<br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | लागू नहीं होता |

| (12) | (13) |
|---|---|
| समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:<br>1. गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग का प्रभारी सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव- अध्यक्ष<br>2. अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक-सदस्य<br>3. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर का प्रमुख-सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. सं.-I-12012/1/2015-प्रशा. (सी डी)]

गौतम घोष, निदेशक

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## (Disaster Management Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2017

**G.S.R. 530(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor, Associate Professor and Assistant Professor in the National Fire Service College, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Professor, Associate Professor and Assistant Professor (Academic Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and the pay band and grade pay or pay scale. - The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, -

(a) Who had entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale. | Whether selection post or non-selection post. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Professor. | 1* (2017)<br>*subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Academic Grade Pay of Rs. 10000. | Selection. |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By Promotion failing which by Deputation (including short-term contract). | To be governed in accordance with the University Grants Commission norms as on date.<br>Promotion:<br>Associate Professor in National Fire Service College, Nagpur with Ph.D. degree in the fire or civil or mechanical or electrical branch of Engineering and Technology and carrying the Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Academic Grade Pay of Rs.9000 with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and satisfying the other conditions as prescribed in the UGC regulation as on date.<br>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Deputation (Including Short Term Contract)<br>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or Universities or Semi-Government or statutory or autonomous organisations:<br>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) With three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post as Associate Professor in the Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Academic Grade Pay of Rs.9000 in the parent cadre or department;<br>and |

| | |
|---|---|
| | (b) possessing the following educational qualifications and experience:<br>Essential:<br>(i) Ph.D. Degree with First Class Bachelor's or Master's Degree in the fire or civil or mechanical or electrical branch of Engineering and Technology; and<br>(ii) at least ten years' experience in teaching, research or industry, out of which at least five years at the level of Assistant Professor, Reader or equivalent grade.<br><br>**Desirable:**<br>1. Teaching, Research, Industrial or professional experience in a reputed organisation;<br>2. Published work, such as research papers, patents filed or obtained, books or technical reports;<br>3. Experience of guiding the project work or dissertation of Post Graduate or Research Students or supervising Research and Development projects in industry.<br>4. Demonstrated leadership in planning and organising academic, research, industrial or professional activities; and<br>5. Capacity to undertake or lead sponsored Research and Development, consultancy and related activities.<br>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.<br>Note 2: Period of deputation [including Short Term Contract (ISTC)] including period of deputation (ISTC) spent in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:**<br>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairperson<br>2. Secretary or Special Secretary or Additional Secretary in charge of Disaster Management Division in Ministry of Home Affairs -Member<br>3. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guards -Member | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| Associate Professor. | 2* (2017)<br>*subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group A, Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Academic Grade Pay of Rs. 9000. | Selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By Promotion failing which by Deputation (including short-term contract). | To be governed in accordance with the University Grants Commission norms as on date<br>Promotion:<br>Assistant Professor in the National Fire Service College, Nagpur in the Pay Band-3, Rs.15600-39100 with Academic Grade Pay of Rs.6000 with nine years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and satisfying the other conditions as prescribed in the UGC regulation as on date.<br>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is |

| | |
|---|---|
| | less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Deputation (Including Short Term Contract):<br>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or Universities or semi-Government or statutory or autonomous organisations:<br>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) Assistant Professor in the discipline of Fire or Civil or Electrical or Mechanical, completing three years of regular service in the Academic Grade Pay of Rs. 8000 in the parent cadre or department;<br>and<br>(b) possessing the following educational qualifications and experience<br>Essential<br>(i) Ph.D. Degree with First Class Bachelor's or Master's Degree in Fire or Civil or Electrical or Mechanical branch of Engineering and Technology; and<br>(ii) experience of eight years in teaching, research or industry at the level of Lecturer or equivalent grade, excluding period spent on obtaining the research degree.<br><br>Desirable:<br>1. Teaching, research, industrial or professional experience in a reputed organisation;<br>2. Published work, such as research papers, patents filed or obtained, books or technical reports;<br>3. Experience of guiding the project work or dissertation of Post Graduate or Research Students or supervising Research and Development projects in industry.<br>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.<br>Note 2: Period of deputation [including Short Term Contract (ISTC)] including period of deputation (ISTC)spent in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:<br>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairperson<br>2. Secretary or Special Secretary or Additional Secretary in charge of Disaster Management Division in Ministry of Home Affairs - Member<br>3. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guards - Member | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Professor | 3* (2017) (one each for Fire or Civil, Electrical and Mechanical)<br>*subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group A Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-3, Rs.15600-39100 with Academic Grade Pay of Rs. 6000. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government) | Essential:<br>First class Master Degree in Fire or Civil or Electrical or Mechanical engineering.<br><br>Desirable:<br>1. Teaching, research, industrial or professional experience in the field of mechanical branch of | Not applicable. | One year. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Engineering and Technology in a reputed organisation;<br>2. Papers presented at Conferences or in referred journals.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>Note 2: The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By Direct Recruitment<br>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government<br>Note 2: The Period of deputation [including short term contract (ISTC)] including period of deputation ((ISTC) spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | Not applicable. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| Group A Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:<br>1. Secretary or Special Secretary or Additional Secretary in charge of Disaster Management Division in Ministry of Home Affairs -Chairperson<br>2. Director General, Fire Service, Civil Defence and Home Guards -Member<br>3. Head of National Fire Service College, Nagpur -Member | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary. |

[F. No. I-12012/1/2015-Ad. (CD)]

GAUTAM GHOSH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.01 14:48:56 +05'30'